जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दंतेवाड़ा

[redacted]

[redacted]

- वह व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य है,
- वह व्यक्ति, जो मानव दुर्व्यवहार से पीड़ित, बेगार या सताया गया है,
- स्त्री या बालक है,
- मानसिक रूप से अस्वस्थ या समर्थ है,
- वह व्यक्ति जो अनापेक्षित अभाव जैसे बहु–विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़ सूखा, औधोगिक विनाश की दशाओं के अधीन पीड़ित हुआ है, या
- कोई कर्मकार है, या
- अभिरक्षा में है, जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किसी संरक्षण गृह में या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के अंतर्गत किसी किशोर गृह में या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अंतर्गत किसी मनचिकित्सीय अस्पताल या मानसिक परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखा गया व्यक्ति भी है, या
- यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी अन्य न्यायालय के समक्ष है तो भारत का कोई भी नागरिक जिसकी समस्त स्त्रोतों से आय 100000/–रूपये (अंकन एक लाख रूपये) से कम हो , विधिक सेवा पाने का हकदार होगा।

[redacted]

- कोर्ट फीस, आदेशिका फीस, साक्षियों तथा पेपर बुक के व्यय, वकील फीस और कानूनी कार्यवाहियों के संबंध में देय समस्त खर्च।
- कानूनी कार्यवाहियों में वकील उपलब्ध कराना।
- कानूनी कार्यवायिों में निर्णयों, आदेशों, साक्ष्य की टिप्पणियों तथा अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां अपलब्ध कराना
- कानूनी कार्यवाहियों में पेपर बुक तैयार करना, जिसमें दस्तावेजों, मुद्रण, टंकण तथा अनुवाद के खर्च सम्मिलित हैं।
- कानूनी दस्तावेजों का प्रारूपण कराना।
- किसी कानूनी मामलें में कानूनी सलाह देना।

[redacted]

- सभी प्रकार के न्यायालयों में विधिक सेवा दी जा सकती है।

अतः इच्छुक पात्र व्यक्ति अपना आवेदन तहसील स्तर पर अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति, जिला स्तर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा उच्च न्यायालय स्वर पर सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा को दे सकता है।

विधिक परामर्श हेतु आप जिलें के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से सम्पर्क करें।

जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
विधिक सेवा ऑनलाईन का फोन नम्बर – 07856-252534